उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद की दिनांक १०.१०.१९९५ को सम्पन्न हुई वर्ष-१९९५ की तृतीय बैठक का कार्यवृत्त ।

दिनांक १०.१०.१९९५ की बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे :-

१-	श्री माता प्रसाद अध्यक्ष/मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन ।	अध्यक्ष
२-	श्री आर.एस. माथुर प्रमुख सचिव, महानिदेशक सार्वजनिक उद्यम विभाग, उ.प्र. शासन ।	सदस्य
३-	श्री शेखर अग्रवाल सचिव वित्त, उ.प्र. शासन(प्रमुख सचिव वित्त के प्रतिनिधि)	सदस्य
४-	श्री मोहिन्दर सिंह आवास आयुक्त, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद ।	सदस्य
५-	श्री के.पी. सिंह, विशेष सचिव, आवास, उ.प्र. शासन(सचिव, आवास के प्रतिनिधि)	सदस्य
६-	श्री एच.के. शर्मा मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक ।	सदस्य
७-	श्री एस.के. वर्मा, मुख्य अभियन्ता, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद ।	सदस्य
८-	श्री यज्ञवीर सिंह चौहान अपर आवास आयुक्त एवं सचिव ।	सचिव

विशेष आमन्त्री के रूप में :-

१- श्री ए.के. पचौरी
मुख्य वास्तुविद् नियोजक ।

२- श्री जी.सी. हेमनानी
वित्त नियन्त्रक एवं मुख्य लेखाधिकारी ।

बैठक में विचार-विमर्श के पश्चात् सर्वसम्मति से निम्नवत् निर्णय लिया गया :-

क्र०सं०	विषय	संकल्प संख्या	निर्णय
१.	परिषद की द्वितीय बैठक दि० २१.४.९५ की कार्यवृत्त की पुष्टि ।	तृतीय/(१)/९५	मद०सं०-७ को छोड़कर शेष की पुष्टि की गई । मद सं०-७ के विषय में यह निर्णय लिया गया कि वर्ष १९९२-९३ की बैलेंस शीट एवं परिषद की अन्य वर्षों की बैलेंस शीट Accruals के आधार पर बनाई जाय अथवा Actuals के आधार पर, इस संबंध में प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा की गई टिप्पणी के अनुसार परीक्षण कर आख्या अध्यक्ष महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित की जाय ।

(68)

== ०२ ==

-१-	-२-	-३-	-४-
२.	परिषद की बैठक दिनांक २१.४.९५ की अनुपालन आख्या ।	तृतीय/(२)/९५	बिन्दु सं०-१ एवं ९ में एक माह में जॉच आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये । शेष का अवलोकन किया गया ।
३.	वित्तीय वर्ष ९५-९६ में माह ८/९५ तक परिषद की भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियों का विवरण ।	तृतीय/(३)/९५	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त निम्न निर्णय लिये गये :- १. परिषद की विषम आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न संस्थाओं को रियायती दरों पर सम्पत्तियों के आवंटन के वर्तमान नियमों का इस उद्देश्य से परीक्षण कर लिया जाय कि सामान्य तौर पर परिषद इन संस्थाओं को अपनी सामान्य दरों पर ही भूमि आवंटित करें और यह संस्थाएं विभिन्न अन्य श्रोतो से अपनी आय बढ़ाने एवं स्वावलम्बी बनने का प्रयास करें । इस विषय का आवास आयुक्त परीक्षण कर सचिव,वित्त के माध्यम से रिपोर्ट अध्यक्ष महोदय को प्रेषित करें । २. विभिन्न नगरों में परिषद द्वारा पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या एवं उपलब्ध भूमि को ध्यान में रखते हुए परिषद द्वारा मात्र उन्हीं जगहों पर नई योजनाएं प्रारम्भ की जाय जो परिषद के लिए लाभ प्रद हो । सचिव,वित्त,आवास आयुक्त एवं विशेष सचिव,आवास संयुक्त रूप से विचार-विमर्श कर इस संबंध में अपनी संस्तुति अध्यक्ष महोदय को प्रेषित करें । ३. बड़ी मात्रा में अनिस्तारित सम्पत्तियों के निस्तारण के संबंध में कठिनाईयों पर चर्चा के दौरान पाया गया कि आवास विकास परिषद एवं प्रदेश की विभिन्न विकास प्राधिकरणों में लगभग २ हजार करोड़ रूपये की सम्पत्तियाँ अनिस्तारित पड़ी है । इनके कारणों की समीक्षा कर इनके शीघ्र निस्तारण हेतु सुझाव देने के लिए आवास विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा एक उच्चस्तरीय समिति तुरन्त गठित की जाय जो अपनी रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करेगी । ४. ऋण दात्री संस्थाओं से ऋण लेने के बिन्दु पर चर्चा के दौरान यह निर्णय लिया गया कि इस बात का परीक्षण कर लिया जाय कि क्या वर्तमान शर्तो पर हडको से परिषद द्वारा ऋण लिया जाना परिषद हित में है और इस सम्बन्ध में एक सुस्पष्ट आख्या परिषद के विचारार्थ आगामी बैठक में रखी जाय ।
४.	वीरभद्र मार्ग योजना संख्या-१,ऋषिकेश में १३ नग सर्विस भखण्डों(कुर्सीस्तर तक) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्ताव ।	तृतीय/(४)/९५	अवलोकित किया गया ।
५.	वसुन्धरा योजना संख्या-३, गाजियाबाद के से०-१४ में प्रस्तावित स्वंय वित्त पोषित परियोजना-९४बी के अन्तर्गत ०३-एस(६२/११३)प्रकार के २नग फिनिश्ड एवं ११नग	तृतीय/(५)/९५	अवलोकित किया गया ।

-१-	-२-	-३-	-४-
	सेमीफिनिश्ड भवनों के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में ।		
६.	वसुन्धरा योजना सं०-३, गाजियाबाद से०-१४ में प्रस्तावित स्वंय वित्त पोषित परियोजना-९४बी के अन्तर्गत ०४-एस(६९/१४२) प्रकार के ०५ नग फिनिश्ड भवनों के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में ।	तृतीय/(६)/९५	अवलोकित किया गया ।
७.	वसुन्धरा योजना सं०-३, गाजियाबाद के से०-१४ में प्रस्तावित स्वंय वित्त पोषित परियोजना-९४बी के अन्तर्गत(६९/१५२)प्रकार के १३ नग सेमीफिनिश्ड भवनों के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में ।	तृतीय/(७)/९५	अवलोकित किया गया ।
८.	इन्दिरा नगर के से०-७ में रिंग रोड के पश्चिम एवं राजकीय पालीटेक्निक के नजदीक अतिक्रमण से रिक्त भूमि पर बाउन्ड्री वाल के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्त स्वीकृति निर्गत करने के संबंध में ।	तृतीय/(७)/९५	अवलोकित किया गया ।
९	मझोला भूमि विकास एवं गृह स्थान यो० सं०-४(भाग-१), मुरादाबाद में समाविष्ट श्री राम स्ट्राबोर्ड मिल्स की भूमि के सम्बन्ध में ।	तृतीय/(९)/९५	अवलोकित किया गया तथा यह निर्देश दिये गये कि शीघ्र जाँच पूर्ण करके दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाय ।
१०.	हडको पोषित १२ योजनाओं में स्वीकृत ऋण रू० २११०.२८ लाख की सामान्य शर्तो के सम्बन्ध में ।	तृतीय/(१०)/९५	अवलोकित किया गया ।
११.	अनाधिकृत निर्माण कब्जे हटाये जाने हेतु एक स्थाई टास्कफोर्स का गठन ।	तृतीय/(११)/९५	परिषद द्वारा विचार-विमर्श के पश्चात यह निर्णय लिया गया कि परिषद की योजनाओं में हो रहे अनाधिकृत निर्माण/अतिक्रमणों को हटाने में सक्रिय सहयोग देने हेतु मुख्य सचिव की ओर से सभी जिलाधिकारियों/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/नगर निगमों/सार्वजनिक निर्माण विभाग को पुनः कडे निर्देश भिजवाये जायं । स्थाई टास्कफोर्स के गठन का प्रस्ताव फिलहाल वापस लिया गया ।
१२.	वित्तीय वर्ष ९४-९५ के पुनरीक्षित एवं वर्ष ९५-९६ के प्रस्तावित आय-व्ययक ब्योरेवार आय-व्ययक अनुमान ।	तृतीय/(१२)/९५	अनुमोदित किया गया ।
१३.	परिषद द्वारा संचालित २ योजनाओं की भूमि अर्जित करने हेतु हडको से रू० १३०.०० लाख का ऋण प्राप्त किये जाने के संबंध में ।	तृतीय/(१३)९५	अनुमोदित किया गया । साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि इन योजनाओं के लिए ऋणदायी संस्था से ऋण आहरण से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रस्तावित योजनाओं से संबंधित नगरों में योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु भूमि उपलब्धता में कोई कठिनाई सम्भावित न हो ।

-१-	-२-	-३-	-४-
१४.	बहादराबाद मार्ग भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना सं०-१, रानीपुर, हरिद्वार में बी०एच०ई०एल० हसकारी गृह निर्माण समिति लि० के लिए डिपाजिट कार्य के रूप में टाईप-१(५५/१२७) प्रकार के २७ नग एवं टाईप-२(७४/१६२)प्रकार के ४१ नग फिनिश्ड भवनों के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में ।	तृतीय/(१४)/९५	अनुमोदित किया गया ।
१५.	परिषद में नियुक्त लेखपालों को राजस्व परिषद में कार्यरत लेखपालों की भांति वेतनमान की स्वीकृति ।	तृतीय/(१५)/९५	स्थगित किया गया ।
१६.	अधीक्षण अभियन्ता के स्थाई पदों पर पात्र अधीक्षण अभियन्ताओं को स्थायी किये जाने के सम्बन्ध में ।	तृतीय/(१६)/९५	स्थगित किया गया ।
१७.	उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद की योजनाओं में लीज पर आवंटित भूखण्डों/भवनों का फ्री होल्ड में परिवर्तन ।	तृतीय/(१७)/९५	अनुमोदित किया गया ।
१८.	यूनाईटेड न्यूज आफ इण्डिया इम्प्लाइज सहकारी आवास समिति लि० के सदस्यों को परिषद की वसुन्धरा योजना, गाजियाबाद में आवंटित भूखण्डों के संबंध में ।	तृतीय/(१८)/९५	विचार विमर्श के पश्चात प्रस्ताव की सैद्धान्तिक स्वीकृति देते हुए यह निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में आदेश निर्गत करने से पूर्व आवास विभाग द्वारा अर्द्धशा०पत्र सं०-१९१८/९-आ-२-१९९५-१८आ-स/९३, दिनांक १८.९.९५ में मॉगी सूचना उन्हें उपलब्ध करावाकर आवास विभाग की सहमति भी प्राप्त कर ली जाय ।
१९.	परिषद के कार्मिकों को वर्ष ९४-९५के निमित्त अनुग्रह धनराशि के भुगतान के संबंध में ।	तृतीय/(१९)/९५	अनुमोदित किया गया ।
२०.	परिषद के अधिकारियों/कर्मचारियों को चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति एवं अनुदान दिये जाने के संबंध में ।	तृतीय/(२०)/९५	विचार विमर्श के दौरान प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा बताया गया कि इस संबंध में जारी शासनादेशों पर पुनर्विचार किया जा रहा है और आदेश जारी किये जा रहे है । शासनादेश की प्रतीक्षा की जाय ।
२१.	श्री जगदीश चन्द्र रस्तोगी, अवर अभियन्ता की चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के संबंध में ।	तृतीय/(२१)/९५	श्री जगदीश चन्द्र रस्तोगी को पूर्व में स्वीकृत अग्रिमों/अनुदान की अधिकतम सीमा कुल रू० १,७२,०००.००(एक लाख बहत्तर हजार) के भीतर बिलों के प्रस्तुत करने पर नियमानुसार परीक्षण करा कर प्रतिपूर्ति का निर्णय लिया गया ।

-१-	-२-	-३-	-४-
	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से ०३ अन्य प्रकरण रखे गये थे जो क्रमशः निम्न प्रकार है :-		
२२.	परिषद की डमरौली योजना, मिर्जापुर में स्थित मध्यम आय वर्ग भवन सं०-४९८ के आवंटन के संबंध में ।	तृतीय/(२२)/९५	अनुमोदित किया गया ।
२३.	श्री गोविन्द कपूरिया, कनिष्ठ सम्परीक्षक के पुत्र के चिकित्सा हेतु अग्रिम प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में ।	तृतीय/(२३)/९५	बिलों का नियमानुसार परीक्षण कर प्रस्तावित रू० ४०,०००.०० की राशि की सीमा के भीतर प्रतिपूर्ति करने का निर्णय लिया गया ।
२४.	श्री सुरेश प्रसाद, चपरासी की पुत्री के हृदय रोग के चिकित्सा अनुदान के संबंध में ।	तृतीय/(२४)/९५	बिलो का नियमानुसार परीक्षण कर प्रस्तावित रू० ७५,०००.०० की राशि की सीमा तक प्रतिपूर्ति करने का निर्णय लिया गया ।

आवास आयुक्त

पुष्टि की गयी

अध्यक्ष